F.D.

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

प्रकरण संख्या:—128 / दावा / 2024

दायरा दिनांक :— 12.11.2024

GCMS ID—2024 / 417

बउनवान

1. झमकू पत्नी स्व0 भोलू जाति रेगर निवासी ग्राम सिंघाडी हाल धनपुरा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
2. नंदलाल आ0 स्व0 भोलू जाति रेगर निवासी सिंघाडी हाल धनपुरा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
3. मदन आ0 स्व0 भोलू जाति रेगर निवासी ग्राम सिंघाडी हाल धनपुरा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
4. रामलाल आ0 स्व0 भोलू जाति रेगर निवासी सिंघाडी हाल धनपुरा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।

वादीगण

बनाम

1. शंकर आ0 स्व0 भोलू जाति रेगर निवासी ग्राम सिंघाडी तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
2. कमलेश आ0 स्व0 भोलू जाति रेगर निवासी सिंघाडी हाल धनपुरा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
3. कमला पुत्री स्व0 भोलू जाति रेगर हाल पत्नी फूलचंद निवासी देवली जिला टोंक।
4. कंचन पुत्री स्व0 भोलू जाति रेगर हाल पत्नी सुरजमल निवासी धोवडा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
5. राधेश्याम आ0 स्व0 भोलू जाति रेगर निवासी सिंघाडी हाल धनपुरा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
6. सोसर पुत्री स्व0 भोलू जाति रेगर हाल पत्नी गोपाल निवासी धोवडा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
7. कालू आ0 स्व0 भूरा जाति रेगर निवासी खोटा गेट बून्दी तह0 बून्दी जिला बून्दी।
8. गोपाल आ0 स्व0 भूरा जाति रेगर निवासी सिंघाडी हाल निवासी कोटा तहसील एवं जिला कोटा।
9. नाथी पुत्री स्व0 भूरा जाति रेगर हाल पत्नी बालू निवासी अणदगंज तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
10. रामचन्द्र आ0 स्व0 भूरा जाति रेगर निवासी सिंघाडी तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
11. रामकिशन आ0 स्व0 गौरू जाति रेगर निवासी धनपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
12. हेमराज आ0 आ0 स्व0 गौरू जाति रेगर निवासी धनपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
13. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार सा० हिण्डोली जिला बूंदी।
14. उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयन कार्यालय हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत :— तकासमा आराजियात, स्थायी निषेधाज्ञा

वकील वादी :— श्री चन्द्रप्रकाश जैन

वकील प्रतिवादीगण :—श्री भंवरलाल गुर्जर (प्रति— 7, 8, 9, 11, 12)

प्रतिवादी संख्या—1 से 6, 10—जबाव बन्द।

दिनांक :—27 / 02 / 2026

## निर्णय

दावा पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम बरवास के जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 144 के खसरा संख्या 341 / 642 क्षेत्रफल 0.

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

7284 हक्टेयर, स्थित है। ग्राम बरवास के जमाबंदी सम्वत 2076 से 2079 के खाता संख्या 143 के खसरा संख्या 341 रकबा 0.7284 हैक्टेयर, खसरा संख्या 342 रकबा 0.6151 हैक्टेयर, खसरा संख्या 488 रकबा 0.3804 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल क्षेत्रफल 1.7239 हैक्टेयर, स्थित है। वादपत्र की चरण संख्या 1 में खातेदारान के स्थान पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 12 का नाम अंकित है। वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम संख्या 1 लगायत 6 प्रत्येक का 1/70–1/70 हिस्सा अंकित है एवं प्रतिवादी क्रम संख्या 7 लगायत 10 प्रत्येक का 1/7–1/7 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 3/14 एवं प्रतिवादी संख्या 12 का 1/14 हिस्सा अंकित है। वादपत्र की चरण संख्या 2 में खातेदारान के स्थान पर वादीनी संख्या 1 का हिस्सा 1/6, प्रतिवादी संख्या 7, 8 व 10 प्रत्येक का हिस्सा 1/6 एवं प्रतिवादी संख्या 11 का हिस्सा 1/4 एवं प्रतिवादी संख्या 12 का 1/12 हिस्सा अंकित है। वादपत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित कृषि भूमियां सयुंक्त है। सयुंक्त रूप से ही खातेदारान के हिस्सेनुसार काश्त होती आ रही है। अभी विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। विधिवत बंटवारा नहीं होने के कारण आपस में सीमाबंदी को लेकर व सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में विवाद होने लग गया है और सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे है। वादीगण ने प्रतिवादीगण 1 लगायत 12 से वादपत्र की चरण संख्या 1 लगायत 2 में वर्णित कृषि भूमियों का विधिवत बंटवारा करवाने के लिए निवेदन किया तो प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 6 सहमत है लेकिन वाद प्रस्तुति करने के समय कार्यवश नहीं आ पाये है इसलिए उन्हे तकमीली पक्षकार बनाया गया है एवं प्रतिवादी क्रम 7 लगायत 12 ने बंटवारा करने से इंकार कर दिया बल्कि धमकी दी कि सारी जमीन पर कब्जा करके रहेंगे और बंटवारा होने के पहले ही बेचान भी करके रहेगे। प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 12 का पूर्ण रूप से अवैधानिक व गैर कानूनी है। वादीगण ने अंतिक बार प्रतिवादीगण से दिनांक 13.11.2024 को बंटवारा करने के लिए निवेदन किया लेकिन प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 12 बंटवारा करने से इंकार हो गये यही वादी कारण है। प्रतिवादीगण द्वारा अंतिम बार बंटवारा करने से 13.11.2024 को इंकार किया जिससे वाद कारण लगातार उत्पन्न हो रहा है, अतः वाद अविध मध्य प्रस्तुत है। वादीगण वाद पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित कृषि भूमियों का हिस्से अनुसार बंटवारा करवा कर अपना खाता अलग करवाने के एवं विधिवत बंटवारा के अनुसार कब्जे में रद्दोबदल करवाने के एवं वाद प्रस्तुति के बाद प्रतिवादीगण 7 लगायत 12 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने के अधिकारी है कि

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

प्रतिवादीगण 7 लगायत 12 उक्त भूमियों का विधिवत बंटवारा होने से पूर्व भूमियों का रहन, बेचान या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण ना करे एवं वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के हिस्से तक उनके कब्जे काश्त में कृषि भूमियों के उपयोग उपभोग एवं कृषि गतिवधियां करने में बाधा नहीं डाले, न ही अन्यो से ऐसा करावे एवं प्रतिवादी संख्या 14 को पाबंद फरमाया जावे कि प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 12 के द्वारा उक्त भूमि से सम्बन्धित कोई भी दस्तावेज पंजीयन हेतु पेश करने पर पंजीयन ना करे। उक्त बंटवारे के वाद में राजस्थान राज्य भूमिधारी होने से आवश्यक पक्षकार है इसलिए उन्हे तकमीली पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 को वाद प्रस्तुति के समय नहीं आ पाने के कारण उन्हे तकमीली पक्षकार बनाया गया है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के हित समान है। भूमियॉ श्रीमान के क्षैत्राधिकार में स्थित है, अतः श्रीमान को यह दावा सुनने का अधिकार प्राप्त है। वाद का मूल्यांकन 5000/–रू पर निश्चित किया जाता है जिसकी निश्चित कोर्ट फीस एवं उचित तलबाने पर यह वादपत्र प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिग्री प्रदान की जावे :– अ :– वादपत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के निहित हिस्से का विधिवत बंटवारा किया जाकर जो भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 के हिस्से में आवे उस पर राजस्व रिकॉर्ड स्वतंत्र रूप से खातेदार के रूप में उनका नाम अमल फरमाया जावे। ब :– वादपत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित भूमियों का विधिवत बंटवारा होने के बाद जो भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के हिस्से में आवे उस पर तद्नुसार कब्जे में रद्दोबदल फरमाया जावे। स :– प्रतिवादीगण संख्या 7 लगायत 12 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वादपत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित कृषि भूमि का विधिवत बंटवारा होने से पूर्व रहन, बेचान या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण ना करें, वादीगण व प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 के हिस्से तक उनके कब्जे काश्त में उपयोग उपभोग में व कृषि गतिविधियॉ करने में बाधा नहीं डाले, न ही अंन्यो से करावे। द :– प्रतिवादी संख्या 14 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 12 के द्वारा विवादित भूमि का कोई भी दस्तावेजात रहन, बेचान या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण के पंजीयन हेतु पेश करने पर पंजीयन ना करे। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी सुलभ हो वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलायी जावे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बूंदी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया गया। वाद वादीगण पेश होने पर तलबी प्रतिवादीगण जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादी नं. 01 लगायत 06 व 09, 10 बावजूद तामिलों के अनुपस्थित रहने व जवाब पेश नहीं करने से दिनांक 17. 04.2025 को जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 07, 08, 11 व 12 की ओर जवाब पेश कर कथन किया कि प्रतिवादी बंटवारा करवाने हेतु तैयार है व प्रतिवादीगण अपने हिस्से की भूमि को रहन बेचान, दान करने हेतु कानूनी रूप से अधिकारी है। वाद वादीगण खारीज किया जावे।

जवाब प्रतिवादीगण पेश होने से निम्न तनकीयात कायम की गई :–

1. आया कि ग्राम बरवास की खाता संख्या 144 स्थित है, जिसमें वादी व प्रतिवादी सहखातेदार दर्ज है।

भार–वादीगण

2. आया कि वादीगण चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित आराजीयात पर विधिवत बंटवारा करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में स्वतंत्र रूप से खातेदार दर्ज करवाने का हकदार है।

भार–वादीगण

3. आया कि वादीगण प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 12 को कृषि भूमि का विधिवत बंटवारा करवाये बिना वादी के हिस्से तक कब्जे काश्त के उपयोग उपभोग में बाधा न डालने रहन, बैचान हस्तानान्तरण नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद का हकदार है।

भार–वादीगण

4. आया कि प्रतिवादीगण सैदव बंटवारा करवाने हेतु तैयार है साथ ही अपने हिस्से का रहन, बैचान, दान करने हेतु कानूनन रूप से हकदार है। अतः वाद वादीगण खारीज योग्य है।

भार–प्रतिवादीगण

वादीगण द्वारा वादपत्र के समर्थन में शपथ–पत्र झमकू रेगर, मदन रेगर, रामलाल रेगर व जमाबंदी खाता संख्या 143 व 144 ग्राम बरवास पेश किए है। बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। जो मुख्य रूप से वादपत्र के अनुसार रही।

प्रकरण में तनकीवार विवेचन निम्नानुसार है :–

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

1. आया कि ग्राम बरवास की खाता संख्या 144 स्थित है, जिसमें वादी व प्रतिवादी सहखातेदार दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

भार—वादीगण

उक्त तनकी के संबंध में वादीगण द्वारा नकल जमाबंदी खतौनी संख्या 143 व 144 सम्वत 2076—2079 वाके ग्राम बरवास पटवार मण्डल चतरगंज तहसील हिण्डोली पेश की हुई है जिसके अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण विवादित भूमियों के सहखातेदार दर्ज है। उक्त तनकी वादी के पक्ष में निर्णय की जाती है।

2. आया कि वादीगण चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित आराजीयात पर विधिवत बंटवारा करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में स्वतंत्र रूप से खातेदार दर्ज करवाने का हकदार है।

भार—वादीगण

उक्त तनकी के संबंध में वादीगण द्वारा नकल जमाबंदी खतौनी संख्या 143 व 144 सम्वत 2076—2079 वाके ग्राम बरवास पटवार मण्डल चतरगंज तहसील हिण्डोली पेश की हुई है जिसके अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण विवादित भूमियों के सहखातेदार दर्ज है। सहखातेदार अपने हिस्से की भूमि बंटवारा करवाकर स्वतंत्र रूप से पृथक खातेदार दर्ज करवाने का अधिकारी होता हैं। उक्त तनकी वादी के पक्ष में निर्णय की जाती है।

3. आया कि वादीगण प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 12 को कृषि भूमि का विधिवत बंटवारा करवाये बिना वादी के हिस्से तक कब्जे काश्त के उपयोग उपभोग में बाधा न डालने रहन, बैचान हस्तानान्तरण नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद का हकदार है।

भार—वादीगण

उक्त तनकी के संबंध में वादीगण द्वारा नकल जमाबंदी खतौनी संख्या 143 व 144 सम्वत 2076—2079 वाके ग्राम बरवास पटवार मण्डल चतरगंज तहसील हिण्डोली पेश की हुई है जिसके अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण विवादित भूमियों के सहखातेदार दर्ज है। प्रत्येक सहखातेदार अपने हिस्से की भूमि की हद तक भूमि पर काश्त करने व उसके उपयोग उपभोग करने का अधिकारी होता है। वादीगण विवादित भूमि में सहखातेदार होने से अपने हिस्से की हद तक प्रतिवादीगण द्वारा दखलंदाजी नहीं करने हेतु व बिना बंटवारा करवाए बैचान, हस्तानान्तरण नहीं करने हेतु उनको पाबंद करवाने का अधिकारी है। उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णय की जाती है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

4. आया कि प्रतिवादीगण सैदव बंटवारा करवाने हेतु तैयार है साथ ही अपने हिस्से का रहन, बैचान, दान करने हेतु कानूनन रूप से हकदार है। अतः वाद वादीगण खारीज योग्य है।

भार–प्रतिवादीगण

उक्त तनकी के संबंध में वादीगण द्वारा नकल जमाबंदी खतौनी संख्या 143 व 144 सम्वत 2076–2079 वाके ग्राम बरवास पटवार मण्डल चतरगंज तहसील हिण्डोली पेश की हुई है जिसके अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण विवादित भूमियों के सहखातेदार दर्ज है। प्रत्येक सहखातेदार का भूमि के प्रत्येक इंच पर बराबर हक व अधिकार होते है। बिना विधिवत बंटवारा करवाए किसी विशिष्ठ भू–भाग का बैचान नहीं किया जा सकता है। किसी अजनबी क्रेता को बिना बंटवारे के ही भूमियों का बैचान करने से अनावश्यक वाद बाहुलता की संभावना रहती है। उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णय की जाती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। तनकीवाद विवेचन उपरान्त वादग्रस्त आराजियात मुताबिक राजस्व रिकार्ड पक्षकारान वादी–प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। वादी अपने हिस्से की आराजीयात का विधिवत तकासमा करवाकर अलग खाता कायम करवाना चाहता हैं जिसका उसे कानूनी रूप से हक व अधिकार है। प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाना उचित एवं न्यायसंगत है।

दावा दिनांक :– 12.05.2025 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार हिण्डोली को तकासमा रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर तहसीलदार हिण्डोली द्वारा निर्देशानुसार पत्रांक :– राजस्व/25/3398 दिनांकः– 18.12.2025 से पी0डी0 रिपोर्ट तैयार कर पेश की गई। जिसे शामिल मिसल कराया।

**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत अभिधृतियों (टीनेंसीज) के अनुसार "विभाजन" का अभिप्राय किसी विभाजन किये जाने योग्य भू–सम्पदा का दो या अधिक भागों में इस प्रकार बंटवारा है जिससे प्रत्येक भाग के एक या एक से अधिक टुकडे हो जाये। धारा–53 को प्रभावशील करने के लिए नियम राजस्थान टीनेन्सी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के अध्याय–4 व नियम 18–21 में वर्णित है।**

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

बहस पक्षकारान के अधिवक्ता की सुनी गई। पक्षकारान के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वे प्राप्त पी0डी0 रिपोर्ट से सहमत हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पक्षकारान अधिवक्ता मुताबिक पी0डी0 रिपोर्ट दावा डिक्री किये जाने हेतु सहमत है।

## —: क्रियात्मक आदेश :—

अतः वाद वादीगण मुताबिक पी0डी0 रिपोर्ट के डिक्री किया जाता है कि निम्नांकित आराजियात निम्नानुसार पक्षकारों के खातेदारी एवं कब्जें काश्त में रहेगी :—

| क्र0सं0 | खातेदार का नाम | खसरा संख्या | रकबा है0 में |
|---|---|---|---|
| 1. | 1. झमकू पत्नी स्व0 भोलू जाति रेगर हिस्सा 19/25<br>2. नन्दलाल पुत्र भोलू जाति रेगर हिस्सा 2/75<br>3. मदन पुत्र भोलू जाति रेगर हिस्सा 2/75<br>4. रामलाल पुत्र भोलू जाति रेगर हिस्सा 2/75<br>5. शंकर पुत्र भोलू जाति रेगर हिस्सा 2/75<br>6. कमलेश पुत्र भोलू जाति रेगर हिस्सा 2/75<br>7. राधेश्याम पुत्र भोलू जाति रेगर हिस्सा 2/75<br>8. कमला पुत्री भोलू जाति रेगर हिस्सा 2/75<br>9. कंचन पुत्री भोलू जाति रेगर हिस्सा 2/75<br>10. सोसर पुत्री भोलू जाति रेगर हिस्सा 2/75 सा0 सिंघाडी खातेदार।<br>**खाता संख्या—143** | 341/2<br>342/2<br>488/1 | 0.1180<br>0.2024<br>0.0712 |
| | **योग** | किता— 3 | **0.3916** |
| 2. | 1. कालू पुत्र भूरा जाति रेगर हिस्सा 1/5<br>2. रामचन्द्र पुत्र भूरा जाति रेगर हिस्सा 1/5<br>3. गोपाल पुत्र भूरा जाति रेगर हिस्सा 1/5<br>4. हेमराज पुत्र गौरू जाति रेगर हिस्सा 1/20 सा0 सिंघाडी खातेदार।<br>5. रामकिशन पुत्र गौरू जाति रेगर हिस्सा 3/20 सा0 धनपुरा खातेदार।<br>**खाता संख्या—143** | 341/1<br>342/1<br>488/1 | 0.6104<br>0.4127<br>0.3072 |
| | **योग** | किता— 3 | **1.3323** |
| 3. | 1. कालू पुत्र भूरा जाति रेगर हिस्सा 13/76<br>2. रामचन्द्र पुत्र भूरा जाति रेगर हिस्सा 13/76<br>3. गोपाल पुत्र भूरा जाति रेगर हिस्सा 13/76<br>4. नाथी पुत्री भूरा जाति रेगर हिस्सा 11/76<br>5. हेमराज पुत्र गौरू जाति रेगर हिस्सा 13/152 सा0 सिंघाडी खातेदार। | 341/642 | 0.7284 |

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 6. रामकिशन पुत्र गौरू जाति रेगर हिस्सा 39/152 सा0 धनपुरा खातेदार।<br>खाता संख्या—144 | | |
| | योग | किता— 1 | 0.7284 |

वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्से में रहने वाली भूमियॉ प्रस्तावित नक्शें में दर्शाये अनुसार रहेगी। मुताबिक न्यायालय निर्णय के वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्से रहने वाली भूमियों का तहसीलदार, हिण्डोली मौकें पर भूमियों में आने जाने हेतु बने हुए रास्ते को सुरक्षित रखते हुए पक्षकारान को कब्जा संभलावे। तद्नुसार रिकॉर्ड राजस्व में अमल हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब हो। नक्शा डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। स्टाम्प एक्ट की धारा 64 के तहत स्टाम्प ड्यूटी वसूल हो। खर्चा फरीकेन अलना—अपना वहन करेगें।

आदेश आज दिनांक 27.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/02/2026

(शिवराज मीणा)
आर0 ए0 एस0
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

# <u>डिक्री मुकदमा इब्तदाई</u>

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला– बून्दी (राज.) मुकाम हिण्डोली
बइजलास श्री शिवराज मीणा,आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी,हिण्डोली जिला–बून्दी

<u>बउनवान</u>

1. झमकू पत्नी स्व0 भोलू जाति रेगर निवासी ग्राम सिंघाडी हाल धनपुरा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
2. नंदलाल आ0 स्व0 भोलू जाति रेगर निवासी सिंघाडी हाल धनपुरा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
3. मदन आ0 स्व0 भोलू जाति रेगर निवासी ग्राम सिंघाडी हाल धनपुरा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
4. रामलाल आ0 स्व0 भोलू जाति रेगर निवासी सिंघाडी हाल धनपुरा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।

<u>वादीगण</u>

<u>बनाम</u>

1. शंकर आ0 स्व0 भोलू जाति रेगर निवासी ग्राम सिंघाडी तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
2. कमलेश आ0 स्व0 भोलू जाति रेगर निवासी सिंघाडी हाल धनपुरा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
3. कमला पुत्री स्व0 भोलू जाति रेगर हाल पत्नी फूलचंद निवासी देवली जिला टोंक।
4. कंचन पुत्री स्व0 भोलू जाति रेगर हाल पत्नी सुरजमल निवासी धोवडा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
5. राधेश्याम आ0 स्व0 भोलू जाति रेगर निवासी सिंघाडी हाल धनपुरा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
6. सोसर पुत्री स्व0 भोलू जाति रेगर हाल पत्नी गोपाल निवासी धोवडा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
7. कालू आ0 स्व0 भूरा जाति रेगर निवासी खोटा गेट बून्दी तह0 बून्दी जिला बून्दी।
8. गोपाल आ0 स्व0 भूरा जाति रेगर निवासी सिंघाडी हाल निवासी कोटा तहसील एवं जिला कोटा।
9. नाथी पुत्री स्व0 भूरा जाति रेगर हाल पत्नी बालू निवासी अणदगंज तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
10. रामचन्द्र आ0 स्व0 भूरा जाति रेगर निवासी सिंघाडी तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
11. रामकिशन आ0 स्व0 गौरू जाति रेगर निवासी धनपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
12. हेमराज आ0 आ0 स्व0 गौरू जाति रेगर निवासी धनपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
13. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार सा० हिण्डोली जिला बूंदी।
14. उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयन कार्यालय हिण्डोली जिला बून्दी।

<u>प्रतिवादीगण</u>

## दावा तकासमा आराजीयात।

## मुकदमा नम्बर :–128 / दावा / 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल है. रूबरू श्री शिवराज मीणा, आर.ए.एस.व हाजिरी श्री शम्भूलाल शर्मा एडवोकेट मिजानिब मुदई रूबरू श्री एकतरफा मनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि

वाद वादीगण मुताबिक पी0डी0 रिपोर्ट के डिक्री किया जाता है कि निम्नांकित आराजियात निम्नानुसार पक्षकारों के खातेदारी एवं कब्जें काश्त में रहेगी :–

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

| सं0 | खातेदार का नाम | खसरा संख्या | रकबा है0 में |
|---|---|---|---|
| 1. | 1. झमकू पत्नी स्व0 भोलू जाति रेगर हिस्सा 19/25<br>2. नन्दलाल पुत्र भोलू जाति रेगर हिस्सा 2/75<br>3. मदन पुत्र भोलू जाति रेगर हिस्सा 2/75<br>4. रामलाल पुत्र भोलू जाति रेगर हिस्सा 2/75<br>5. शंकर पुत्र भोलू जाति रेगर हिस्सा 2/75<br>6. कमलेश पुत्र भोलू जाति रेगर हिस्सा 2/75<br>7. राधेश्याम पुत्र भोलू जाति रेगर हिस्सा 2/75<br>8. कमला पुत्री भोलू जाति रेगर हिस्सा 2/75<br>9. कंचन पुत्री भोलू जाति रेगर हिस्सा 2/75<br>10. सोसर पुत्री भोलू जाति रेगर हिस्सा 2/75 सा0 सिंघाडी खातेदार।<br>**खाता संख्या–143** | 341/2<br>342/2<br>488/1 | 0.1180<br>0.2024<br>0.0712 |
| | **योग** | **किता– 3** | **0.3916** |
| 2. | 1. कालू पुत्र भूरा जाति रेगर हिस्सा 1/5<br>2. रामचन्द्र पुत्र भूरा जाति रेगर हिस्सा 1/5<br>3. गोपाल पुत्र भूरा जाति रेगर हिस्सा 1/5<br>4. हेमराज पुत्र गौरू जाति रेगर हिस्सा 1/20 सा0 सिंघाडी खातेदार।<br>5. रामकिशन पुत्र गौरू जाति रेगर हिस्सा 3/20 सा0 धनपुरा खातेदार।<br>**खाता संख्या–143** | 341/1<br>342/1<br>488/1 | 0.6104<br>0.4127<br>0.3072 |
| | **योग** | **किता– 3** | **1.3323** |
| 3. | 1. कालू पुत्र भूरा जाति रेगर हिस्सा 13/76<br>2. रामचन्द्र पुत्र भूरा जाति रेगर हिस्सा 13/76<br>3. गोपाल पुत्र भूरा जाति रेगर हिस्सा 13/76<br>4. नाथी पुत्री भूरा जाति रेगर हिस्सा 11/76<br>5. हेमराज पुत्र गौरू जाति रेगर हिस्सा 13/152 सा0 सिंघाडी खातेदार।<br>6. रामकिशन पुत्र गौरू जाति रेगर हिस्सा 39/152 सा0 धनपुरा खातेदार।<br>**खाता संख्या–144** | 341/642 | 0.7284 |
| | **योग** | **किता– 1** | **0.7284** |

वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्से में रहने वाली भूमियॉ प्रस्तावित नक्शें में दर्शाये अनुसार रहेगी। मुताबिक न्यायालय निर्णय के वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्से रहने वाली भूमियों का तहसीलदार, हिण्डोली मौकें पर भूमियों में आने जाने हेतु बने हुए रास्ते को सुरक्षित रखते हुए पक्षकारान को कब्जा संभलावे। तदनुसार रिकॉर्ड राजस्व में अमल हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब हो। नक्शा डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। स्टाम्प एक्ट की धारा 64 के तहत स्टाम्प ड्यूटी वसूल हो। खर्चा फरीकेन अलना–अपना वहन करेगें।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख :–27.02.2026 को जारी की गई।

27/02/2026
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)

मोहर न्यायालय

| मुदई | रूपये | पैसे | मुदायला | रूपये | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | 2 | 00 | स्टाम्प वकालतनामा | 1 | 00 |
| स्टाम्प वकालत नामा | 1 | 00 | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | महन्ताना वकील | | |
| महन्ताना वकील | | | खर्चागवाहान | | |
| खर्चा गवाहान | | | फीस कमिश्नर | | |
| फीस कमिश्नर | | | बाबत इजराय हुक्म नामा | | |
| बाबत इजराय हूक्म नामा | | | मुतफरिक | | |
| मुतफरिक | | | | | |
| मीजान | 3 | 00 | मीजान | 1 | 00 |

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)